

जवाब द्यु 24.02.2021 का पक्ष ही।

24/2

पत्रावली प्रेषण कार्य वकील प्रार्थी अनुपास्थित। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी को लोन कर आवाज लगाई गयी उपास्थित नहीं। अर्थात् प्रकरण अदालत द्वारा अदालत प्रेषण के खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेषण सुमा बना नम्बर से कम है।

अधिकारी  
केन्द्र (राज.)

